बिहार सरकार

समाहरणालय, कैमूर

E-mail : dpro.kaimur.bih@gmail.com

(जिला पंचायत कार्यालय)

पत्रांक XIII-01-19-983 / पं0, दिनांक 19-9-19 /

प्रेषक,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
कैमूर।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
कैमूर जिला।

विषय :– पंचायत सरकार भवनों के निमार्ण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु राशि का उपावंटन।

प्रसंग :– संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 25(आ0)/पं0रा0/दिनांक 08.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र द्वारा बजट शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त राशि को संलग्न विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पद्नाम के सामने पंचायत सरकार भवनों के निमार्ण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु कैमूर जिले को कुल निर्धारित लक्ष्य 26 के अनुसार **45292000.00 (चार करोड बावन लाख बानबे हजार) रूपये मात्र** का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे पंचायत सरकार भवनों के निमार्ण हेतु राशि सभी प्रखण्डों को उपावंटित किया जाता है। उपावंटित राशि की सूची पत्र के साथ संलग्न।

2. यह उपावंटन वित्त विभाग के **परिपत्र सं0–एम–4–05/98–2561 वि(2), दिनांक 17 अप्रैल 1998, 256, दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.19 में निहित अनुदेशों के अलोक** में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या 16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **'मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन' मद के विषय शीर्ष '0108.53.01–मुख्य निमार्ण कार्य'** इसका विपत्र कोड **16–4515001010108** है।

4. यह आवंटन विभागीय राज्य आदेश संख्या **03(स्वी0)** दिनांक **03.06.19** में निहित अनुदेशो के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **छायाप्रति संलग्न।**

5. सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने **CFMS Office** में उक्त Head of Account (**विपत्र कोड 16–4515001010108**) को यथाशीघ्र **Map/Tag** कर लें ताकि **CFMS** द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

6. इस उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जॉच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्पूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस उपांवटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयो का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समूचित ढ़ंग से हो सके।

9. वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक जिला मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये । व्यय न होने पर शुन्य व्यय विवरणी भेजी जाय।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

विश्वासभाजन,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
कैमूर।

ज्ञापांक XIII-01-19-983/**पं0, दिनांक** 19.9.19/

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को अनुलंग्नक विवरणी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
कैमूर।

F:\Panchayat office\2019\XIII-Allowtment\XIII-01-19 CFMS\Letter\17.09.2018.docx

बिहार सरकार

समाहरणालय, कैमूर

E-mail : dpro.kaimur.bih@gmail.com

(जिला पंचायत कार्यालय)

पत्रांक XIII-01-19-....................../पं0, दिनांक ..../ अनुलग्नक–1

पंचायत सरकार भवनों के निमार्ण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में पंचायतवार राशि का उपावंटनः–

क्र0सं0	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4
1	मोहनियाँ	I. भरखर	1742000.00
		II. बढुपर	1742000.00
		III. पानापुर	1742000.00
		IV. डंडवास	1742000.00
		कुल योगः–	**6968000.00**
2	चैनपुर	I. इसिया	1742000.00
		II. करजाव	1742000.00
		III. बिउर मानपुर	1742000.00
		कुल योगः–	**5226000.00**
3	रामपुर	I. अमॉव	1742000.00
		II. बेलॉव	1742000.00
		कुल योगः–	**3484000.00**
4	चाँद	I. कुड्डी	1742000.00
		II. सौखरा	1742000.00
		कुल योगः–	**3484000.00**
5	भगवानपुर	I. पहड़िया	1742000.00
		II. रामगढ़	1742000.00
		III. सरैया	1742000.00
		कुल योगः–	**5226000.00**
6	अधौरा	I. चैनपुरा	1742000.00
		II. दीघार	1742000.00
		III. सड़की	1742000.00
		कुल योगः–	**5226000.00**
7	कुदरा	I. ससना	1742000.00
		II. चिलबिली	1742000.00
		कुल योगः–	**3484000.00**
8	दुर्गावती	I. छांव	1742000.00
		II. खडसरा	1742000.00
		III. कर्णपुरा	1742000.00
		कुल योगः–	**5226000.00**
9	भभुआ	I. दुमदुम	1742000.00
		II. जागेबरावं	1742000.00
		III. महुअत	1742000.00
		कुल योगः–	**5226000.00**
10	रामगढ़	I. सिझुआ	1742000.00
		कुल योगः–	**1742000.00**
कुल योगः–			**45292000.00**

(चार करोड़ बावन लाख बानवे हजार रूपये)

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
कैमूर।

F:\Panchayat office\2019\XIII-Allowtment\XIII-01-19 CFMS\Letter\17.09.2018.docx

पत्रांक सं0- 2प0 / प0स0भ0 -09- 09 / 2018(खंड) / 03(स्वी0) / पं0रा0

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:03/06/2019

विषयः **1438 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश:- **स्वीकृत।**

2. ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इस हेतु सभी 8386 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की राज्य सरकार की योजना है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से लेकर वर्ष 2014–15 तक 1435 पंचायत सरकार भवन बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त बिहार के 12 परियोजना जिलों में विश्व बैंक की सहायता से 330 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। शेष बचे 6621 पंचायतों में से वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1435 पंचायत सरकार भवन बनाने का प्रस्ताव है। प्राक्कलित राशि ₹14431000 करोड (एक करोड़ चौवालिस लाख एकतीस हजार) रूपये प्रति पंचायत सरकार भवन है। जिसमें से Boundary Wall with Gate की राशि ₹18,51,054.00 (अठारह लाख इक्यावन हजार चौवन) रूपये एवं संवेदक लाभांश ₹11,07,104.00 (ग्यारह लाख सात हजार एक सौ चार) रूपये छोड़कर प्रति पंचायत सरकार भवन ₹1,14,43,136.00 (एक करोड़ चौदह लाख तैंतालिस हजार एक सौ छतीस) रूपये की प्राक्कलित राशि होगी।

इसके लिए पंचायत सरकार भवन का Design पूर्व में ही तैयार किया गया है। भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/Standing Committee की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है।

इसका उपयोग बहुउद्देशीय होगा। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बाढ़ एवं आपदाओं में भी उसका उपयोग किया जा सकेगा। पंचायत सरकार की भवन दो मंजिला है। कुल क्षेत्रफल 5920 वर्गफीट का है। अनुमानित राशि ₹1,14,43,136.00 (एक करोड़ चौदह लाख तैंतालिस हजार एक सौ छतीस) रूपये प्रति पंचायत सरकार भवन है। इससे पंचायतों को अपने कार्य संचालन में जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनने और कार्यकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह सुशासन की संकल्पना के एकीकृत केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

D:\TAHSEEN 2019\Anup Sir\PSB Lok vit samiti sanlekh\MANDH parisad docx16

क्र0पृ0उ0